फैक्स / समयबद्ध

संख्याः–288(1) / 1–10–2016–33(28) / 2016

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राहत आयुक्त कार्यालय लखनऊ : दिनॉक :: 15 मार्च, 2016

विषयः– विगत दिनो प्रदेश के कतिपय जनपदों में हुई ओलावृष्टि के फलस्वरूप फसलों की क्षति की सूचना प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–288 / 1–10–2016–33(28) / 2016, दिनांक 09.03.2016 द्वारा जनपदों में हुई ओलावृष्टि के फलस्वरूप फसलों की 33 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति होने की स्थिति में सूचना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर फैक्स / ईमेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2– यह उल्लेख करना है कि विगत दिनो प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में बारिश होने के साथ–साथ कतिपय जनपदों में ओलावृष्टि होने की सूचना प्राप्त हुई है। ओलावृष्टि के फलस्वरूप कृषि फसलों को क्षति होने की भी आशंका है। उल्लेखनीय है कि राज्य आपदा मोचक निधि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश दिनांक 08.04.2015 के अनुसार ओलावृष्टि से कृषि फसलों को 33 प्रतिशत या 33 प्रतिशत से अधिक क्षति होने की दशा में निर्धारित मानक एवं दर के आधार पर राहत दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति का विस्तृत आंकलन कराकर क्षति का विवरण प्रेषित किया जाय। यदि क्षति 33 प्रतिशत या उससे अधिक पाई जाती है तो उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर अलग से दिनांक 18.03.2016 तक राहत आयुक्त कार्यालय के फैक्स सं0–0522–2238084, 2236305 एवं ईमेल–rahat@nic.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त

all letters – 4